भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिटीजन चार्टर बनाये जाने के सम्बंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा-4(1)बी में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय के सम्बंध में सूचना।

(4) लोक प्राधिकारियों की बाध्यतायें-1 प्रत्येक लोक अधिकारी (क) अपने सभी अभिलेखो को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है। और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्ति-युक्त समय के भीतर है और संसाधनो की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्व है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर बनाया जा सके।	पुलिस की वेब साइट पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ.प्र.लखनऊ की सूचना उपलब्ध है।
(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ बीस दिन के भीतर (i) अपने संगठन विशिष्टियॉ कृत्य और कर्तब्य	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र.लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्याः2049/8-1-64/76 दिनॉकित 18.04.1977 के अनुसार 1- भ्रष्टाचार 2- बलात् 3- जानबूझकर बदला लेने तथा परेशान करने की प्रवृत्ति 4- बुरे नियत से आपातकालीन विशेष अधिकारों का दुरुपयोग विषयक जांच एवं संगठन द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करके ऐसे लोगों को पकडने के लिये नियमानुसार ट्रैप भी डालेंगे। उक्त के अतिरिक्त शासन तथा विभागाध्यक्षों एवं पुलिस महानिदेशक उ.प्र.लखनऊ के स्तर से प्राप्त जॉच एवं विवेचनाओं का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।
(ii)अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य-	उ.प्र.शासन आदेश संख्याः3886/छःपु0से0-2-99-522(5)/84 दिनॉकित 22.10.1999 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया है तथा शासनादेश संख्याः3886/छःपु0से0-2-99-522(5)/84 दिनॉकित 22.10.1999 के द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित करते हुये वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया।
(iii)विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम से सम्मिलित है-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है।
(iv) अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ के अधीनस्थ इकाईयों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर शासन की नीति/ प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा तद्नुसार उच्चाधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाता है एवं तद्नुसार कार्यवाही हेतु इकाईयों

	के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते है।
(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रण धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग है, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के विरूद्ध जांच हेतु सशक्त है। शासनादेशों एवं मैनुअल के अनुरूप ही संगठन कार्य करता है। विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य योजनाएं लागू की गयी हैं।
(vi) ऐसे दस्तावेजो के जो, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ जांच एवं विवेचनाओं के अभिलेखों को श्रेणी में सूची बद्ध किया गया है। सामान्य प्रशासनिक कार्यों के सम्बन्ध में कोई गोपनीयता की श्रेणी नहीं रखी गयी है।
(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाॅ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र.लखनऊ और जनता के बीच सीधा सम्पर्क नहीं है, परन्तु भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जागरूकता कार्यक्रम जनपदों के माध्यम से चलाया जाता है।
(viii) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे मे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है क्या उन बोर्डो परिषदो, समितियो, और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी, विवरण-	लागू नहीं।
(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	**भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण**

क्र.सं.	नियतन	पदनाम
1.	01	अपर पुलिस महानिदेशक,
2.	01	पुलिस महानिरीक्षक,
3.	02	पुलिस उपमहानिरीक्षक,
4.	01	पुलिस अधीक्षक,
5.	03	अपर पुलिस अधीक्षक,
6.	24	पुलिस उपाधीक्षक,
7.	01	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
8.	01	अभियोजन अधिकारी,
9.	154	निरीक्षक,
10.	03	निरीक्षक(गोपनीय)
11.	23	उपनिरीक्षक(गोपनीय)
12.	01	निरीक्षक(लिपिक)
13.	06	उपनिरीक्षक(लिपिक)
14.	03	उपनिरीक्षक(लेखा)

		15.	02	सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
		16.	22	सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)
		17.	75	उपनिरीक्षक ना0पु0
		18.	96	मुख्य आरक्षी
		19.	368	आरक्षी
		20.	00	डिस्पैच राइडर
		21.	01	मुख्य आरक्षी परिवहन
		22.	56	आरक्षी चालक/मुख्य आरक्षी चालक
		23.	00	कम्प्यूटर आपरेटर(ग्रेड-प्रथम) सम्बद्ध
		24.	21	ओ0पी0/पी0ओ0पी0 (चतुर्थ श्रेणी)
		25.	01	दफ्तरी
		26.	01	सफाई कर्मी
		27.	01	वाटरमैन कम माली

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके निनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलत है।-

भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र.लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान
1.	अपर पुलिस महानिदेशक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	67000-79000 एचएजी
2.	पुलिस महानिरीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	37400-67000 ग्रेड पे- 10000/-
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	37000-67000 ग्रेड पे- 8900/-
4.	पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
5.	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र.	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
6.	पुलिस उपाधीक्षक, भ्र.नि.सं.	15600-391000 ग्रेड पे- 5400/-
7.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
8.	अभियोजन अधिकारी	15600-391000 ग्रेड पे- 6600/-
9.	निरीक्षक	9300-34800 ग्रेड पे- 4600/-
10.	उ.नि.(एम.)/आशुलिपिक	9300-34800 ग्रेड पे- 4200/-
11.	उ.नि.(एम.)/आंकिक/प्रधान लिपिक	9300-34800 ग्रेड पे- 4200/-
12.	सहायक उ.नि.(एम.)	5200-20200 ग्रेड पे- 2800/-
13.	मुख्य आरक्षी	5200-20200 ग्रेड पे- 2400/-
14.	आरक्षी	5200-20200 ग्रेड पे- 2000/-
15.	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200 ग्रेड पे- 1800/-

<table>
<tr><td>(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टॅया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(xii) सहायिकी कार्यक्रमो के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है-</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयॉ-</td><td>उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो-</td><td>
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कार्य</th><th>कार्यवाही किस स्तर से</th><th>समयावधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना</td><td>अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.सं. उ.प्र. लखनऊ</td><td>प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक (राजकीय अवकाश को छोडकर)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सूचना निरीक्षण करने का स्थान</td><td>उपरोक्त</td><td>बिलम्बतम 30 दिवस</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सूचना प्रदान किये जाने का स्थान</td><td>उपरोक्त</td><td>बिलम्बतम 30 दिवस</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(रू. 10/- प्रथम घण्टा उसके पश्चात् रू. 05/- प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रू. 50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)</td><td>भ्र.नि.सं. उ.प्र. लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td><td>बिलम्बतम 30 दिवस</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रू. 10/- प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)</td><td>भ्र.नि.सं. उ.प्र. लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>अभिलेखीय सूचना रू. 02/- प्रति पृष्ठ की दर से</td><td>भ्र.नि.सं. उ.प्र. लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक</td><td>बिलम्बतम 30 दिवस</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि</td><td>भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ.प्र. लखनऊ में लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग पुलिस कर्मियों के लिये ही सीमित है। कार्यालय में सीमित स्थान में होने के कारण सामान्य जनता के लिये लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध नही</td></tr>
</table>

लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है-	करायी गयी है।
(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाॅ--	1. जन सूचना अधिकारीः श्रीमती इन्दुप्रभा सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, सप्तम तल, टावर-3, पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार-7, लखनऊ-226002, मोबाइल नम्बर 9454401130 2. प्रथम अपीलीय अधिकारीः श्री राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, सप्तम तल, टावर-3, पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार-7, लखनऊ-226002, मोबाइल नम्बर 9454400431
(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जो-	शून्य